In case such a claim is put forward, it would be looked into in terms of the procedure applicable in such cases.

Misuse of Newsprint Quota by the 'Statesman' (P) Ltd.

716. SHRI BADRUDDUJA :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI MOHAMMAD ISMALL :
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the present circulation of "Junior" Statesman, and the newsprint quota allotted to this paper ;

(b) whether Government have received any complaint against the management of the Statesman (P) Ltd., of using newsprint quota for job work and whether Statesman job department undertook work of a foreign High Commission and for that used the quota of newsprint ;

(c) whether the management of the Statesman had an employee called Gomez and whether complaints were received against this employee in that regard ; and

(d) whether it is a fact that content of booklet as mentioned in (b) was also uncomplimentary ; and if so, the action, if any proposed to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I.K. GUJRAL) : (a) The average circulation of "Junior" Statesman was 12,620 copies per publishing day during 1968 according to the Annual Statesman furnished by the publisher to the Press Registrar. No newsprint quota has been allotted to this weekly.

(b) to (d). No complaint has been received against the management or any employee of the Statesman for the misuse of their newsprint quota for the printing of a booklet of a foreign High Commission. Ministry of I and B have no information about the booklet.

भूमि सुधार कार्यान्विति समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति

717, **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री भूमि सुधार की कार्यान्विति के बारे में 2 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सुधार कार्यान्विति समिति की सिफारिशों के आधार पर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्य ने क्या विशेष कदम उठाये हैं; और

(ख) आसाम, तामिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में किए गए अन्य उपायों के क्या परिणाम निकले हैं तथा कौन-कौन से अन्य राज्यों ने कार्यान्विति धीमी गति से की है तथा इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमि सुधार कार्यान्विति समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को इस सुझाव सहित भेज दी गई थी कि राज्य सरकारों को उन पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

अप्रभावी खरीदों को रोकने के लिये गूजरात में उपबन्धों को सशक्त बना दिया गया है और पट्टेदारों की पूर्ण सुरक्षा के लिये, अधिकारों के रिकार्ड की शुद्धि के लिय एक विशेष आन्दोलन संगठित किया गया है ।

केरल में पट्टे की सुरक्षा से संबन्धित उपबंधों को सशक्त बनाने के लिये एक विधेयक पास कर दिया गया है, जिससे पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को दिये जाने वाले किराये में और कमी की जाये तथा पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के उपबन्धों और विधियों को सरल बनाया जा सके। अधिकारों के रिकार्ड को पूर्ण करने के लिये, एक विशेष अधिनियम भी बनाया गया है ।